2018/00136

राजस्व लोक अदालत केम्प दूदवा तहसील पचपदरा

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम आर.ए.एस

मुकदमा न005/2018

अपीलांण्टगण — बनाम — रेस्पोडेन्ट

1.आसीदेवी पत्नि सुरताराम
कौम जाट निवासी दुदवा

1. सरपंच ग्राम पंचायत दूदवा
2. जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

अपील अंतर्गत धारा 75 रा.भू.राजस्व अधिनियम विरूद्व

दिनांकः–03.05.2018

आदेश

यह अपील अपीलान्ट के द्वारा अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत राजस्व लोक अदालत ग्राम दूधवा डेर के नामान्तरकरण सख्या 108 व ग्राम दूधवा मलीनाथ के नामान्तरकरण संख्या 420/147, 424/147 पर ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेश के विरूद्व न्याय आपके द्वार ग्राम पंचायत दूदवा में प्रस्तुत की गई है।

सक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम दूधवा मलीनाथ के ख0न0 420/147, 424/147 रकबा कमशः 26.05 बीघा, 1.00 बीघा एवं ग्राम दूधवाडेर के ख0न0 470/97 रकबा 7.09 बीघा मे अपीलाण्ट का नाम पुरोदेवी पत्नि सुरताराम कौम जाट सहखातेदारी में दर्ज है। ग्राम दूधवा डेर के नामान्तरकरण संख्या 108 व ग्राम दूधवा मलीनाथ के नामान्तरकरण संख्या 130 में सुरताराम के फौत होने पर नामान्तरकरण दर्ज करते समय आसीदेवी के स्थान पर पुरोदेवी पत्नि सुरताराम दर्ज हुआ जो वर्तमान जमाबंदी में भी दर्ज है, जबकि वास्तविक एव सही नाम आसीदेवी पत्नि सुरताराम है। उक्त अपील पत्र के संबंध मे पटवारी/आरआई/ तहसीलदार की संयुक्त रिपोर्ट प्राप्त की गई उक्त रिपोर्ट अनुसार अपीलाण्ट का नाम आसीदेवी पत्नि सुरताराम सही नाम दर्ज करने की सिफारिश की है।

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व पटवारी/आरआई/ दूदवा, उप तहसीलदार जसोल की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार प्रसतुत दस्तावेज, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशनकार्ड, पेन्शन पी.पी.ओ, शपथपत्र तथा सरपंच ग्राम पंचायत दूदवा की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का राजस्व रेकर्ड मे नाम पुरोदेवी पत्नि सुरताराम दर्ज है जबकि सही नाम आसीदेवी पत्नि सुरताराम है। अपीलान्टगण को सुना गया। मजमे आम मे उपस्थित लोगो से पूछताछ की गई। इसके आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर मौजा दूदवा देर क ख0न0 470/97 दूदवा मल्लीनाथ के ख0न0 420/147, 424/147 में पुरोदेवी पत्नि सुरताराम के स्थान आसीदेवी पत्नि सुरताराम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।

आदेश राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार दूदवा में सुनाया गया ।
पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एव पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प..दूदवा

Scanned by CamScanner